

शहर की हवा रही सामान्य श्रेणी में, एक्यूआई 168 किया गया दर्ज

गुरुग्राम। साइबर सिटी में शुक्रवार को शहर की हवा सामान्य श्रेणी में रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को जिले का एक्यूआई 168 दर्ज किया गया। इसके अलावा विकास सदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक 115, सेक्टर-51 का वायु गुणवत्ता सूचकांक 226, टेरी ग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 165, सेक्टर-2 आईएमटी मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया। इसके अलावा शुक्रवार को शहर का मौसम भी सामान्य रहा। शहर का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरा दिन आसमान में धूप खिली रही। मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिन सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। व्यूरो

सेक्टर-15 गोल्फ कोर्स में बढ़ाई जाएंगी खेल की सुविधाएं

लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग रिंग, पेडल टेनिस आदि खेलों के लिए तैयार किए जाएंगे ग्राउंड

अमर उजाला व्यूरो

गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) एनएच-48 के ग्रीन बेल्ट सेक्टर 15 पार्ट-2 के गोल्फ कोर्स और टेनिस कोर्ट को री-डिजाइन कराने जा रहा है। अब यहां पर लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग रिंग, पेडल टेनिस आदि जैसी खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस पर करीब 4.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जीएमडीए शहर के ग्रीन बेल्ट में सुधार कर खेल सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी के तहत पहले सेक्टर 15 पार्ट दो में एनएच-48 के ग्रीन बेल्ट में गोल्फ क्लब में अन्य खेल सुविधाएं विकसित करने जा रहा है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता विकास मलिक ने बताया कि सेक्टर 15 पार्ट दो में अभी गोल्फ कोर्स और लॉन टेनिस की



गुरुग्राम के सेक्टर-15 की ग्रीन बेल्ट में बनेगा खेल का मैदान।: संवाद

सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कई सालों से गोल्फ कोर्स बंद है। ऐसे में अब जीएमडीए गोल्फ कोर्स की जगह अन्य खेल सुविधाएं विकसित कराने जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इससे स्थानीय और आसपास के लोगों को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के ग्रीन बेल्ट में अच्छी खेल सुविधाएं मिल सकेंगी।

कार्यकारी अभियंता ने बताया कि गोल्फ कोर्स के बजाय लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग रिंग, फुटसल और पेडल टेनिस आदि जैसी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि साल 2017 में जीएमडीए के गठन के बाद सेक्टर 15 पार्ट दो में ग्रीन बेल्ट एएसएलवीपी से जीएमडीए को

अन्य जगहों पर विकसित होंगी खेल सुविधाएं

जीएमडीए शहर में खेल संसाधन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। प्राधिकरण का मानना है कि खेल स्टेडियम में पेशेवर खिलाड़ी जा पाते हैं, ऐसे में जगह-जगह खाली पड़े ग्रीन बेल्ट में खेल संसाधन बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय लोग सुबह-शाम फिट रहने के लिए इसका प्रयोग कर सकें। सेक्टर 15 की तर्ज पर सेक्टर 17, सेक्टर 31, डीएलएफ फेज दो समेत अन्य ग्रीन बेल्ट पर काम होगा।

हस्तांतरित कर दी गई थी। अब इस पर जीएमडीए ने काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 17 दिसंबर के बाद टेंडर खोला जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग

गुरुग्राम। सूरत नगर और राजेंद्रा पार्क आरडब्ल्यूए संगठनों ने दौलताबाद फ्लाईओवर पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की है। डीसीपी ट्रैफिक को दिए गए ज्ञापन में लोगों ने कहा है कि दौलताबाद फ्लाईओवर पर रोजाना जाम लगने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। इसका असर रेलवे रोड और राजेंद्रा पार्क की शनि मंदिर तक होता है। सूरत नगर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश तवर ने बताया कि दौलताबाद फ्लाईओवर पर अगर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेंगे तो लोगों को परेशानी कुछ कम होगी। संवाद

खत्तों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से नए साल में होगी शुरू

गुरुग्राम। सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्लांटों (खत्ते) पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अंतिम चरण में है। नए साल में निगम सभ्यी 14 खत्तों की सीसीटीवी से निगरानी शुरू कर देगा। जीएमडीए की ओर से 8 खत्तों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। जबकि, शेष 6 पर इस माह के आखिरी सप्ताह तक काम पूरा लिया जाएगा। इसके बाद कचरे की अवैध डंपिंग करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ

कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह को जीएमडीए के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त निगमायुक्त ने बताया कि अतुल कटारिया चौक, शीतला माता मंदिर, रोशनपुरा सब्जी मंडी, बेरोवाला बाग, चकरपुर, बंधवाड़ी खांडसा तथा कोर्ट पार्किंग के सामने सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। बादशाहपुर, फाजिलपुर, सिकंदरपुर, चौमा, कार्टरपुरी व धनवापुर क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संवाद

कुत्ते के काटने से तीन साल की मासूम की दस दिन बाद मौत, लगावाए थे टीके

बृहस्पतिवार शाम को अचानक बिगड़ी तबीयत

संवाद न्यूज एजेंसी

पटौदी। गांव नानुखुर्द में तीन वर्षीय मासूम मोक्षी की बृहस्पतिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची को 24 नवंबर को गली में एक लावारिस कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया था। तभी से बच्ची का इलाज चल रहा था।

इस बीच उसे एंटी रेबीज के तीन वैक्सीन भी लगाए गए थे। बृहस्पतिवार दोपहर को ही परिजन अस्पताल से बच्ची की पट्टी बदलवाकर लाए थे। शाम के समय जैसे ही बच्ची ने खाना खाया, वैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई।

मोक्षी के ताऊ रामकिशन ने बताया कि गुप्त 24 नवम्बर को उसके भाई फूलकुमार की बेटी मोक्षी और तन्वी

उन्के घर से अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान मोक्षी को गांव में घूमते लावारिस कुत्ते ने बांये हाथ की कोहनी के पीछे से काट लिया। मोक्षी को तुरन्त पटौदी के उपमंडल नागरिक अस्पताल में लेकर गए और 24 नवम्बर को उपमंडल नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज का वैक्सीन लगावाया। उसके बाद 27 नवम्बर और एक दिसम्बर को एंटी रेबीज का दूसरा और तीसरा टीका लगावाया। मोक्षी को चौथा टीका 22 दिसम्बर को लगाना था, लेकिन इससे पहले ही 5 दिसम्बर को उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया।

रामकिशन ने बताया कि 5 दिसंबर को शाम साढ़े छह बजे खाना खाने के दौरान ही मोक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे एकाएक ही उलटी होने लगी। इस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए थे। परिजनों का कहना है कि मासूम की मौत कैसे हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता है।

हर माह 100 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं एंटी रेबीज का टीका लगवाने

गुरुग्राम। गांव नानुखुर्द में कुत्ते के काटने से बच्ची की मौत से नगर निगम एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया। इस पूरे वर्ष कुत्ते काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस महीने अभी तक करीब 100 लोग एंटी रेबीज का टीका लगवाने पहुंचे हैं। ज्यादातर मामलों में लावारिस कुत्ते लोगों को काटते हैं। नगर निगम की ओर से लावारिस कुत्तों का पकड़ा जाता है परंतु निगम की ओर से कुत्तों को पकड़ने की व्यवस्था लचर है। सेक्टर-23, सूरत नगर, लक्ष्मी गार्डन, सिविल लाईंस सहित शहर के अन्य इलाकों में लावारिस कुत्ते सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। संवाद



सड़कों पर बैठे लावारिस कुत्ते।

पहले भी हुई है कई घटनाएं

- सेक्टर-37 स्थित तक्षशिला सोसाइटी में 23 दिसंबर को एक लावारिस कुत्ते ने 8 वर्षीय बच्चे को काट लिया था। इससे गुस्साए लोगों ने कुत्तों को मारकर सोसाइटी से बाहर भाग दिया।
- जनवरी माह में सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार में एक कुत्ते ने एक युवक और एक तीन साल के बच्चे को काट लिया था।
- जनवरी माह में ही कुत्ते ने सेक्टर-23ए में एक आठ साल की बच्ची पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद आसपास के लोगों ने बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
- फरवरी माह में सेक्टर-5 में पिटबुल प्रजाति के एक पालतू कुत्ते ने दो साल के एक बच्चे और उसकी बुआ को काट लिया।

शाम होते ही मानेसर में छा जाता है अंधेरा

गुरुग्राम। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तो लगी हैं लेकिन जलती नहीं हैं। रात के वक्त इलाके में अंधेरा रहता है। उद्योगियों ने प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह से इलाके की स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में करीब 3500 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। शाम साढ़े छह बजे के बाद की शिफ्ट में आने जाने वाले लोगों और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। संवाद

रोज़ाना शक्ति उत्पादक (DAILY ENERGIZER) पुरषो और औरतों के लिए

कमांडो कैप्सूल

आयुर्वेद एक्सपर्ट से सीधा संपर्क करें CP SINGH CHAWLA 9914702266 B.Sc. Medical, D. Pharma Approved हर मेडिकल स्टोर से खरीदें

रु.111.35 Crores (एक सौ ग्यारह करोड़ और पैंतीस लाख रुपये केवल)

रु.11.14 Crores (ग्यारह करोड़ और बीस लाख रुपये केवल)

रु.20.40 Crores (बीस करोड़ और चालीस लाख रुपये केवल)

रु.2.04 Crores (दो करोड़ और चार लाख रुपये केवल)

रु.131.75 Crores (एक सौ इकतीस करोड़ और पचास लाख रुपये केवल)

रु.13.18 Crores (तेरह करोड़ और अठारह लाख रुपये केवल)

अल्केमिस्टर् अस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सीआईएन नं. U74999DL2002PLC117052) ए-270, (एफएफ एंड एएसए), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 टेली: 91-11-46562580-83 फैक्स 91-11-46562584, ईमेल: admin@alchemistarc.com, वेब: www.alchemistarc.com			
ई-नीलामी बिक्री सूचना			
[कृपया प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9 और परिशिष्ट IV ए देखें] प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9 के साथ पठित प्रतिभूति व्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे "सरफेसी अधिनियम, 2002" कहा जाएगा) को कतिपय परिसेपरियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के तहत प्रत्याभूति परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना			
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से क्रयकर्ता, ठेकानदार और ग्राहकों को नोटिस दिया जाता है कि प्रत्याभूति क्रयप्रदाता के पास निम्नलिखित प्रत्यक्षभूति परिसंपत्ति (ओ), निरक्षरता संपत्तिक कच्चा द्राव्य फाइनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 23-11-2023 को ले लिया गया है और खप के असायमेटर के बाद, (इसके बाद इसे "प्रत्याभूति क्रयप्रदाता" के रूप में संदर्भित किया गया है) के ट्रस्टी को भवना से कार्य कर रहा। "अल्केमिस्टर् एंसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड", प्रत्याभूति क्रयप्रदाता बन गया है, "चूंकि यह प्रतीकात्मक कच्चा प्रत्याभूति क्रयप्रदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित है अतः इसे "जैसे है जगह है", "जैसे है जो है", "जो कुछ भी खाता है" और "बिना किसी के" आधार पर क्रयकर्ता, ठेकानदार अथवा निर्माण एंटरप्राइस लिमिटेड और ग्राहक अथवा को विचार्यसंग रूप, श्री प्रतीक राय, और श्रीमती निमिता राय से 30-11-2024 को एएसआई को देय अधिनियम व्याज और शुल्क सहित अल्केमिस्टर् XXXIX ट्रस्ट (प्रत्यक्षभूति क्रयप्रदाता) के ट्रस्टी को धनगत में कार्य कर रही। "अल्केमिस्टर् एंसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड" को देय राशि 96,04,89,723/- रु. (छिन्नाने कचेड़ चार लाख नवसौ हजार सत्त सौ तेरह रुपये केवल) सहित कुल राशि को वसूली के लिए ई-नीलामी बंद होने से पहले यह बिक्री हुई चले लगी जाती है, प्रत्येक भाग (5) मिण्ट के अवधिगत अंति एक्सटेंशन के साथ 10-01-2025 को सुबह 12:30 बजे तक वेबसाइट https://www.bankauctions.com के जरिये "अनबाइडन ई-नीलामी" के माध्यम से "प्रत्याभूति क्रयप्रदाता के अधिकृत अधिकारी" ("एओ") द्वारा इसकी बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य, प्रवेष्ट राशि जमा (एएमटी) और प्रत्यक्षभूति संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।			
क्रयकर्ता व ठेकानदार और ग्राहकों का ब्योरा	नोट्स	प्रत्याभूति फंडसंपत्तियों का ब्योरा	
1. निगमिण्या एंटरप्राइस लिमिटेड (सीआईएन U45201RJ2004PLC019382) ग्रिम टावर, टावर-ए, सेक्टर-2, प्लाट प्लाटो गुरुग्राम, फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम-122003	1.	उस पर निर्मित एवं निर्मित किये जाने वाला तथा एवं प्लाट दोनों भवन, संरचनाएं उद्यमन इकाई तथा भूमि से संलग्न प्लॉट एवं मशीनरी या भूमि से स्वामी रूप से जुड़ी कोई चीज, उम्बर या उसके किसी भाग पर उद्यमिता/संस्थापित या उद्यमिता/ संस्थापित किये जाने वाले निरुसमर एवं फिटिंग के साथ सेक्टर-2, ग्याल प्लाटो गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड गुरुग्राम, हरियाणा में खसरा नं. 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिम, 13/1 मिम में लगभग 2,91,118 वर्ग फुट म्प के निर्मित क्षेत्र काला उस पर होटर भवन (टावर बी) के साथ लगभग 6585 वर्ग मी.(1.63 एकड़) भाग को श्री होल्ड भूमि के सम्पुर्णिक पर निर्माणित हिस्से के भाग के रूप में तथा उससे शामिल भूमि के सभी जल्दी भाग।	
यहां भी: 160 कनि बिहार, अगले गिह, समर्थ रहल सॉल्टा कॉलोनी, नानपुर-201021	2.	उस पर निर्मित एवं निर्मित किये जाने वाला तथा एवं प्लाट दोनों भवन, संरचनाएं उद्यमन इकाई तथा भूमि से संलग्न प्लॉट एवं मशीनरी या भूमि से स्वामी रूप से जुड़ी कोई चीज, उम्बर या उसके किसी भाग पर उद्यमिता/संस्थापित या उद्यमिता/ संस्थापित किये जाने वाले निरुसमर एवं फिटिंग के साथ सेक्टर-2, ग्याल प्लाटो गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड गुरुग्राम, हरियाणा में खसरा नं. 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिम, 13/1 मिम में लगभग 1629 वर्ग मीटर (0.40 एकड़) भाग को श्री होल्ड भूमि के सम्पुर्णिक पर निर्माणित हिस्से सहित टावर-ए, ग्रिम टावर में लगभग 26815 वर्ग फुट के वेसमेट क्षेत्र सहित 27, 28, 35, 62 एवं 75 वर्ग पर लगभग 27,393 वर्ग फुट म्प के निर्मित क्षेत्र के भाग के रूप में तथा उससे शामिल भूमि के सभी जल्दी भाग।	
3. श्रीमती निमिता राय पत्नी श्री विजय सिंह राय निवासी से. 27/8/3 पुरान दिल्ली रोड गुरुग्राम-122001	3.	उस पर निर्मित एवं निर्मित किये जाने वाला तथा एवं प्लाट दोनों भवन, संरचनाएं उद्यमन इकाई तथा भूमि से संलग्न प्लॉट एवं मशीनरी या भूमि से स्वामी रूप से जुड़ी कोई चीज, उम्बर या उसके किसी भाग पर उद्यमिता/संस्थापित या उद्यमिता/ संस्थापित किये जाने वाले निरुसमर एवं फिटिंग के साथ सेक्टर-2, ग्याल प्लाटो गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड गुरुग्राम, हरियाणा में खसरा नं. 4/18/2/1, 18/2/2, 19, 21/2, 22, 26, 8/2, 48/12 मिम, 13/1 मिम में लगभग 1629 वर्ग मीटर (0.40 एकड़) भाग को श्री होल्ड भूमि के सम्पुर्णिक पर निर्माणित हिस्से सहित टावर-ए, ग्रिम टावर में लगभग 26815 वर्ग फुट के वेसमेट क्षेत्र सहित 27, 28, 35, 62 एवं 75 वर्ग पर लगभग 27,393 वर्ग फुट म्प के निर्मित क्षेत्र के भाग के रूप में तथा उससे शामिल भूमि के सभी जल्दी भाग।	

(नोट: 1. चोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे थाम न दें कि लॉट के लिए नीलामी बिक्री पर नीचे निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विचार किया जाएगा: (i) प्राथमिकता संख्या 1: यदि ऑनलाइन ई-चोली प्राथमिकता के अंत में लॉट नंबर 1 की नीलामी बिक्री को एओ द्वारा सफल माना जाता है तो नीलामी बिक्री अन्य लॉट दुरु कर दिए जाएंगे। (ii) प्राथमिकता संख्या 2: यदि ऑनलाइन ई-चोली प्राथमिकता के अंत में लॉट नंबर 1 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है, तो लॉट नंबर 3 को एओ 1 चोली पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा और लॉट 2 के लिए नीलामी बिक्री प्राथमिकता भी दुरु कर दी जाएगी और केवल लॉट नंबर 3 पर विचार किया जाएगा। (iii) प्राथमिकता संख्या 3: यदि लॉट नंबर 1 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (iv) प्राथमिकता संख्या 4: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (v) प्राथमिकता संख्या 5: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (vi) प्राथमिकता संख्या 6: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (vii) प्राथमिकता संख्या 7: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (viii) प्राथमिकता संख्या 8: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (ix) प्राथमिकता संख्या 9: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (x) प्राथमिकता संख्या 10: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xi) प्राथमिकता संख्या 11: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xii) प्राथमिकता संख्या 12: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xiii) प्राथमिकता संख्या 13: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xiv) प्राथमिकता संख्या 14: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xv) प्राथमिकता संख्या 15: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xvi) प्राथमिकता संख्या 16: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xvii) प्राथमिकता संख्या 17: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xviii) प्राथमिकता संख्या 18: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xix) प्राथमिकता संख्या 19: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xx) प्राथमिकता संख्या 20: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxi) प्राथमिकता संख्या 21: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxii) प्राथमिकता संख्या 22: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxiii) प्राथमिकता संख्या 23: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxiv) प्राथमिकता संख्या 24: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxv) प्राथमिकता संख्या 25: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxvi) प्राथमिकता संख्या 26: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxvii) प्राथमिकता संख्या 27: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxviii) प्राथमिकता संख्या 28: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxix) प्राथमिकता संख्या 29: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxx) प्राथमिकता संख्या 30: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxi) प्राथमिकता संख्या 31: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxii) प्राथमिकता संख्या 32: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxiii) प्राथमिकता संख्या 33: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxiv) प्राथमिकता संख्या 34: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxv) प्राथमिकता संख्या 35: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxvi) प्राथमिकता संख्या 36: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxvii) प्राथमिकता संख्या 37: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxviii) प्राथमिकता संख्या 38: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xxxix) प्राथमिकता संख्या 39: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xl) प्राथमिकता संख्या 40: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xli) प्राथमिकता संख्या 41: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlii) प्राथमिकता संख्या 42: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xliii) प्राथमिकता संख्या 43: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xliv) प्राथमिकता संख्या 44: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 45: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlvi) प्राथमिकता संख्या 46: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlvii) प्राथमिकता संख्या 47: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlviii) प्राथमिकता संख्या 48: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlvix) प्राथमिकता संख्या 49: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xli) प्राथमिकता संख्या 50: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlii) प्राथमिकता संख्या 51: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xliii) प्राथमिकता संख्या 52: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xliv) प्राथमिकता संख्या 53: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 54: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 55: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 56: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 57: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 58: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 59: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 60: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 61: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 62: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 63: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 64: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 65: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 66: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 67: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 68: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 69: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 70: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 71: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को अनुमोदन के लिए मना जाएगा। (xlv) प्राथमिकता संख्या 72: यदि लॉट नंबर 1, 2 और 3 की नीलामी बिक्री सफल नहीं होती है तो लॉट नंबर 2 की चोली 1 चोली को